Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–839 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 15 / 12 / 2025

वाद संख्या–207 / 2025

श्री गिन्नी लाल जी — वादी
ग्राम–श्रीकोट गढसारी, पो0–खण्डाह
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री गिन्नी लाल, ग्राम–श्रीकोट गढसारी, पो0–खण्डाह, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 25.10.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि 02 माह पूर्व नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था जो कि वादी के परिसर पर दिनांक 22.10.2025 को स्थापित करा दिया गया है। परन्तु विद्युत मापक स्थाापित कराने के पश्चात् मीटर की रीडिंग 800 से शुरू हुई है, जिससे वादी को काफी परेशानी हो रही है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 763, दिनांक 25.10.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 759, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई। जिसमें वादी उपस्थित नहीं हुये एवं विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुई परन्तु उनके द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

Kirti Prasad 15/12/25

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 4369, दिनांक 20.11.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि उपभोक्ता के Brunt Meter का रजिस्ट्रेशन (22810250539) कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा Brunt Meter शुल्क जमा करने के उपरान्त विभागीय कार्यवाही कर दी जायेगी।

विश्लेषण

आज दिनांक 15.12.2025 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के शिकायत में संयोजन सं0 एवं फोन नम्बर का विवरण उपलब्ध नहीं है जिससे कि वादी से सम्पर्क नहीं हो पाया। वादी द्वारा अपने नाम से नया मीटर संयोजन लिया गया था। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि वादी के यहां अन्य स्थान से उतारे हुये मीटर जिसकी प्रारम्भिक रीडिंग 800 है, को लगा दिया गया है। वादी को 800 रीडिंग के पश्चात् ही बिल प्राप्त होंगे।

आदेश

वादी का फोन नं0 न होने के कारण वादी से सम्पर्क नहीं हो पाया जिस कारण वादी का बिलविवरण उपलब्ध नहीं हो पाया। उपभोक्ताओं के यहां पूर्व में प्रयोग किया हुआ मापक लगाया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह वादी के यहां स्वीकृत भार के अनुरूप केबिल लगायें एवं यह सुनिश्चित करें कि वादी को उसके उपभोग (800 रीडिंग के पश्चात्) के अनुसार ही बिल निर्गत किये जायें एवं अनुपाल आख्या 01 माह के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाये और उक्त निर्णय को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की वेबसाइड पर अपलोड किया जाये।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

15/12/25	15/12/25	Kirti Prasad 15/12/25
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

15/12/25	15/12/25	Kirti Prasad 15/12/25
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

पत्रांकः–840उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 15/12/2025

वाद संख्या–209 / 2025

श्री दीपक नौटियाल
ग्राम– थापली, चौरास
टिहरी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री दीपक नौटियाल, ग्राम–थापली, चौरास, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 29.10.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरा विद्युत बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद 115572 रू0 का दिया गया है, जबकि सितम्बर 2025 में स्मार्ट मीटर लगाया गया तब से मेरे द्वारा सभी बिलों का भुगतान किया गया है। विभाग द्वारा सम्पर्क करने पर अवगत कराया गया कि आपके मीटर में 25405 रीडिंग दर्शाई गई है। जबकि 2015 से अब तक मुझे 11242 रीडिंग के बिल प्राप्त हुये जिनका मै भुगतान कर चुका हूं। अगर मीटर पर 25405 रीडिंग थी तो मुझे पहले ही पूरी रीडिंग का बिल क्यों नहीं दिया गया और 14000 रीडिंग क्यों छोडी गई? 2015 से अब तक 11000 रीडिंग और 01 माह में 14000 कहां से आई? मैं एक गरीब उपभोक्ता हूं मेरा गलत बिल सही करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

15/12/25 15/12/25 15/12/25

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 766, दिनांक 29.10.2025 द्वारा नौटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 809, दिनांक 17.11.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 833, दिनांक 08.12.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 15.12.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 4637/विविखश्री/, दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का बीजक संशोधित कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 15.12.2025 को बैठक हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से श्री मोहित अग्रवाल (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी का पुराना मापक दिनांक 25.09.2025 को अन्तिम रीडिंग 25405 पर बदला गया था जबकि वादी को माह 10/2025 में 11340 रीडिंग का बिल निर्गत किया गया था, वादी को माह 05/2022 के बाद कम रीडिंग के बिल 20-40 यूनिट के बिल निर्गत किये गये हैं जबकि पूर्व में वादी का उपभोग लगभग 200-300 के मध्य रहा है। विपक्षी द्वारा माह 05/2022 से मीटर बदलने की तिथि 22.09.2025 तक के बिल कुल बकाया राशि रू0 115572 को संशोधित कर रू0 40211.00 कर दिया गया है। जो कि उचित है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं परिवादी का बिल रू0 115572 .00 को संशाधित कर रू0 40211.0कर दिया गया है, जो कि नियमानुसार ठीक है। एवं अनुपालन आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Kush prasad 15/12/25

15/12/25

15/12/25

इस निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाये और उक्त निर्णय को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की वेबसाइड पर अपलोड किया जाये।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 841 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 15/12/2025

वाद संख्या–210 / 2025

श्री शशिकान्त जी
पुलिस थाना, कीर्तिनगर।
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री शशिकान्त जी, पुलिस थाना, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 03.11.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरा स्मार्ट मीटर सितम्बर 2025 में लगा था, जिसके लगने के बाद मुझे रू0 25699 का बिल प्राप्त हुआ। विभाग द्वारा सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आपके मीटर में पुराने मीटर की रीडिंग छूटी है। मेरे मीटर पर रीडिंग छूटी थी तो मुझे पहले ही पूरी रीडिंग का बिल क्यों नहीं दिया गया? जब मेरा मीटर 2023 में बदला गया था उस समय चला हुआ मीटर मेरे भवन पर लगाया गया था परन्तु उस समय भी मेरा बिल ठीक नहीं किया गया। अतः मेरा गलत बिल ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 793, दिनांक 03.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

15/12/25 15/12/25 15/12/25

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 810, दिनांक 18.11.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 834, दिनांक 08.12.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 15.12.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 4636/विविखश्री/, दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का बीजक संशोधित कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 15.12.2025 को बैठक हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से श्री मोहित अग्रवाल (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी का पुराना मापक अन्तिम रीडिंग (4374) दिनांक 26.09.2025 को स्मार्ट मापक से बदला गया था जबकि वादी को माह 09/2025 में 1070 रीडिंग का बिल निर्गत किया गया था। दिनांक 26.09.2025 से पूर्व में भी वादी का मापक 20.02.2023 को प्रारम्भिक रीडिंग 346 पर बदला गया था। विपक्षी द्वारा दिनांक 20.02.2023 से 26.09.2025 तक के समस्त बिल कुल बकाया धनराशि रू0 27725.00 को संशोधित कर रू0 11100.00 कर दिया गया है, जो कि सही है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं परिवादी का बिल रू0 27725.00 को संशाधित कर रू0 11100.00 कर दिया गया है, जो कि सही है। एवं अनुपालन आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाये और उक्त निर्णय को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की वेबसाइड पर अपलोड किया जाये।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

15/12/25	15/12/25	Kirti Prasad 15/12/25
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

15/12/25	15/12/25	Kirti Prasad 15/12/25
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–842उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 15/12/2025

वाद संख्या–212 / 2025

श्री अर्जुन सिंह नेगी
ग्राम–धौलाण (कनाकोट), पो0–पैठाणी
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री अर्जुन सिह नेगी, ग्राम–धौलाण (कनाकोट), पो0–पैठाणी, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 13.11.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि हमारा विद्युत मीटर सं0–62273367 है जो कि मेरी माता श्रीमती आशा देवी के नाम पर है। पिछले वर्ष हमारा बिल न आने के कारण हमने रू0 4001 का भुगतान किया था परन्तु उससे हमारी विद्युत मीटर की रीडिंग बराबर नहीं हुई और हमारे प्रतिमाह के विद्युत बिल भी ठीक है। हमे आशंका है कि हमारे विद्युत मीटर में कोई खराबी है, कृपा करके विद्युत मीटर की जांच कर इसे जल्द से जल्द बदल दिया जाये। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 803, दिनांक 13.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

Kirti Prasad
15/12/25

15/12/25 15/12

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 826, दिनांक 02.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 2631/वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि/2025–26, दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विद्युत संयोजन सं0 PG24332225175 पर स्थापित विद्युत मीटर 62273367 की रीडिंग की जांच करने पर मीटर रीडिंग सही पाई गई। उपभोक्ता के परिसर पर उक्त मापक स्थापना की तिथि 29.05.2017 से 23.10.2025 तक कुल खपत 5333 यूनिट को वित्तीय वर्ष के अनुसार समय–समय पर लागू टैरिफ के हिसाब से उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा बिल संशोधन कर दिये गये है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 311.65 भुगतान हेतु लम्बित है।

विश्लेषण

आज दिनांक 15.12.2025 को सुनवाई हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि जिसमे विभाग द्वारा बिल को रू0 15143.00 को संशाधित कर रू0 311.65 कर दिया गया है, जो कि न्यायोच्वित है। उक्त आधार पर परिवादी का परिवाद उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं परिवादी का बिल रू0 15143.00 को संशाधित कर रू0 311.65 कर दिया गया है।

इस निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाये और उक्त निर्णय को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की वेबसाइड पर अपलोड किया जाये।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

15/12/25	15/12/25	15/12/25
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

15/12/25	15/12/25	15/12/25
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–843 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 15 / 12 / 2025

वाद संख्या–213 / 2025

श्री भुपाल सिंह राणा — वादी
अलकनन्दा विहार
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री भुपाल सिंह राणा, अलकनन्दा विहार, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 08.12.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरा बिल लगभग 100–200 रू0 ही आता है। परन्तु वर्तमान माह में 3708रू0 आया हुआ है जो कि अन्य बिलों की भांति बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा सम्बन्धित मीटर रीडर से भी अधिक बिल की शिकायत की थी परन्तु समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 804, दिनांक 13.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

Kirti Prasad 15/12/25

15/12/25 15/12

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 822, दिनांक 02.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 835, दिनांक 08.12.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 15.12.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 4608/विविखश्री/, दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त उपभोक्ता का मापक आई0डी0एफ0 होने के कारण उपभोक्ता के माह अगस्त 2025 एवं अक्टूबर 2025 के बीजक MU Basis पर न बनने पर Solar Water Heater Rebate प्रदर्शित नहीं हुई है एवं उक्त दो बीजक पूर्व बीजकों के सापेक्ष अधिक है। उक्त के सम्बन्ध में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 द्वारा भी उक्त की पुष्टि की गई है, जिसमे उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि "The solar Rebate is applicable only on MU basis" उपभोक्ता का मापक दिनांक 25.09.2025 को बदल दिया गया था जिसके पश्चात् उपभोक्ता के अग्रिम बीजक MU basis पर प्रदर्शित होंगे, एवं उपभोक्ता की Solar Water Heater Rebate पूर्व की भांति प्रदर्शित होना प्रारम्भ होंगी।

विश्लेषण

आज दिनांक 15.12.2025 को बैठक हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से श्री मोहित अग्रवाल (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली का अध्ययन किया गया वादी का खराब मापक दिनांक 25.09.2025 को बदला गया है, माह 08 एवं 10/2025 में वादी को एन0ए0/एन0आर0 के बिल प्राप्त हुये हैं, जिस कारण वादी को सोलर वाटर हीटर रीबेट नहीं मिल पाई है। विपक्षी ने आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अनुसार केवल एम0यू0 के बिल निर्गत होने पर ही सोलर वाटर हीटर रीबेट दिये जाने का प्रावधान होना बताया है। यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई आदेश संलग्नः नहीं है। उक्त आधार पर परिवादी का परिवाद उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

Kirti Prasad
15/12/25

15/12/25

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह वादी को एन0ए0 / एन0आर0 के बिल पर भी सोलर वाटर हीटर रीबेट देकर बिल संशोधित करें जिसकी अनुपालन आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को उपलब्ध करायें।

इस निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाये और उक्त निर्णय को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की वेबसाइड पर अपलोड किया जाये।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 844 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 15/12/2025

वाद संख्या–214/2025

श्री नरेन्द्र सिंह जी
ग्राम–खण्डगांव, पो0–पैठाणी
पौडी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री नरेन्द्र सिंह, ग्राम–खण्डगांव, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 13.11.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरो बिल सन् 2018 से 02/2023 तक आर0डी0एफ0 चल रहा था जिसको कि विभाग द्वारा ठीक कर दिया गया था जिसके बाद मुझे 08/2023 से 02/2024 तक के बिल एम0यू0 के आधार पर निर्गत किये गये थे परन्तु इसके पश्चात् स्थिति पहले जैंसे बन गई और 04/2024 से वर्तमान तक आर0डी0एफ0 के बिल निर्गत किये जा रहे हैं जिससे कि मै काफी परेशान हूं। अतः मेरा बिल ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 805, दिनांक 13.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 825, दिनांक 02.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

15/12/25

15/12/25 15/12

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 2632 / वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि / 2025–26, दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विद्युत संयोजन सं0 PG24332215470 पर स्थापित विद्युत मीटर 32177020 की रीडिंग की जांच करने पर मीटर रीडिंग सही पाई गई। उपभोक्ता के विद्युत बिल दिनांक 21.10.2018 तक सही रीडिंग 7471 पर निर्गत किये गये। माह 11 / 2018 के पश्चात् माह 10 / 2025 तक आर0डी0एफ0 पर निर्गत हुये। उक्त अवधि के आर0डी0एफ0 के बिल वित्तीय वर्ष के अनुसार समय–समय लागू टैरिफ के हिसाब से उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा बिल संशोधन कर दिये गये है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक विद्युत बिल रू0 –5165.00 है।

विश्लेषण

आज दिनांक 15.12.2025 को बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया वादी के बिल विवरण से स्पष्ट है कि वादी को 12 / 2018 के पश्चात् आर0डी0एफ0 / एम0यू0 के बिल प्राप्त हुये, जिसको कि विपक्षी द्वारा संशोधित कुल देय धनराशि रू0 24157.00 कर दिया गया है जबकि वादी द्वारा उक्त अवधि में रू0 29323.00 जमा किये गये थे। इस प्रकार वादी पर बकाया रू0 (–5165.00) है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं परिवादी का बिल कुल बकाया राशि रू0 34070.00 से संशोधित कर रू0 (–5165.00) कर दिया गया है।

इस निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाये और उक्त निर्णय को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की वेबसाइड पर अपलोड किया जाये।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः **Cgrfsrinagar@gmail.com**

पत्रांकः–845 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 15/12/2025

वाद संख्या–215 / 2025

श्री कमल जी
कीर्तिनगर।
टिहरी गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री कमल जी, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 15.11.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि विद्युत विभाग द्वारा मुझे मीटर चेंज के उपरान्त रू0 16496 का बिल दिया गया और अवगत कराया कि यह बिल पुराने मीटर का है, जबकि मेरे द्वारा पिछले सभी बिलों का पूर्णतः भुगतान कर दिया गया था एवं मेरी खपत भी 02 माह में 40–50 यूनिट ही होती है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आपकी 1786 यूनिट पिछले मीटर की बकाया है। अतः आपसे निवेदन है कि बिल ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 806, दिनांक 17.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 823, दिनांक 02.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

Kirti Prasad 15/12/25

15/12/25 15/12/25

मंच के कार्यालय पत्रांक 836, दिनांक 08.12.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 15.12.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक 4638/विविखश्री/, दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का बीजक संशोधित कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 15.12.2025 को बैठक हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से श्री मोहित अग्रवाल (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी का मापक दिनांक 16.08.2024 को प्रारम्भिक रीडिंग 0 पर बदला गया था उसके पश्चात् दिनांक 12.09.2025 को मापक अन्तिम रीडिंग 2255 पर पुनः स्मार्ट मीटर से बदला गया जबकि वादी को माह 09/2025 तक 822 रीडिंग तक के बिल प्राप्त हुये थे। इस प्रकार मापक में रीडिंग रूकी हुई थी। विपक्षी द्वारा दिनांक 16.08.2024 से 12.09.2025 तक के बिल औंसत उपभोग के आधार पर कुल बकाया धनराशि रू0 15524.00 को संशोधित कर रू0 5976.00 कर दिया गया है, जो कि उचित है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं परिवादी का बिल रू0 15524.00 को संशाधित कर रू0 5976.00 कर दिया गया है, जो कि उचित है। एवं अनुपालन आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाये और उक्त निर्णय को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की वेबसाइड पर अपलोड किया जाये।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–846 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 15/12/2025

वाद संख्या–216 / 2025

श्री ओमप्रकाश जी — वादी
ग्राम–थापली,
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री ओमप्रकाश जी, ग्राम–थापली, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 15.11.202 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका वर्तमान बिल अधिक आया हुआ है जबकि वादी का कथन है कि सर्दियों में बिल 25 से 30 यूनिट एवं गर्मियों में लगभग 15 से 20 यूनिट रहता है। अतः मेरा बिल ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी को अपने पत्रांक सं0 807, दिनांक 17.11.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

Kirti prasad 15/12/2025

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड पौडी गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 824, दिनांक 02.12.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 837, दिनांक 08.12.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 15.12.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 2702/वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि/2025–26, दिनांक 11.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विद्युत संयोजन सं0 PG14207209452 पर स्थापित विद्युत मीटर 32222765 की रीडिंग की जांच करने पर मीटर रीडिंग सही पाई गई। उपभोक्ता के पिरसर पर उक्त मापक दिनांक 15.06.2014 को स्थापित हुआ। उक्त मीटर की स्थापना तिथि से दिनांक 09.11.2025 तक उपभोक्त के मीटर पर 14805 रीडिंग पाई गई। उक्त अवधि (15.06.2014 से 09.11.2025) के विद्युत बिल वित्तीय वर्ष के अनुसार समय–समय लागू टैरिफ के हिसाब से उपखण्ड अधिकारी पौडी द्वारा बिल संशोधन कर दिये है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता पर वास्तविक बकाया रू0 18835.80 भुगतान हेतु लम्बित है।

विश्लेषण

आज दिनांक 15.12.2025 को बैठक हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से श्री सुनील रावत (लेखाकार) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। वादी के बिल विवरण से स्पष्ट है कि वादी का मापक दिनांक 15.06.2014 को बदला गया था इसके पश्चात् वादी को एम0यू0/एन0आर0/आई0डी0एफ0 के बिल प्राप्त हुये जिसको कि विपक्षी द्वारा मीटर बदलने की तिथि 15.06.2014 से 09.11.2025 तक के समस्त बिल रीडिंग के अनुसार कुल बकाया राशि रू0 69099.00 से संशोधित कर रू0 18835.00 कर दिया गया है। अर्थात् वादी पर कुल बकाया नवम्बर 2025 तक रू0 18835.00 है, जो कि उचित है।

Kuti prasad 15/12/25

15/12/25

15/12/25

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं परिवादी का बिल रू0 69099.00 को संशाधित कर रू0 18835.00 कर दिया गया है। जो कि नियमानुसार ठीक है।

इस निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाये और उक्त निर्णय को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की वेबसाइड पर अपलोड किया जाये।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

15/12/25	15/12/25	15/12/25
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयानुदेश आज खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

15/12/25	15/12/25	15/12/25
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)